भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 668

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी

668. श्री सी०पी० नारायणन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए;
(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में अधिकारियों की मिलीभगत पर गौर किया है, यदि हां, तो को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या युवकों और बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है; और
(ङ.) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों के साथ सख्ती से निपटेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समन्वय एजेंसी होने के कारण स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विगत तीन वर्षों के दौरान कोकीन और अन्य मादक पदार्थों की दुर्व्यापार के लिए पंजीकृत मामलों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जो अनुलग्नक-'क' में देखे जा सकते हैं।

(ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-'ख' पर संलग्न हैं।

(ग): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के साथ लोगों की मिली-भगत के ब्यौरे अनुलग्नक-'ख' के रूप में संलग्न है।

(घ): स्वापक पदार्थों का उपभोग युवाओं और बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है।

(ङ.): स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पहले से ही एक विशेष कानून अर्थात स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 मौजूद हैं।

****

कोकीन और अन्य मादक पदार्थों की राज्य-वार संख्या

क्र सं.	राज्य	कोकीन			अन्य मादक पदार्थ		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	4	13	30
2.	आन्ध्र प्रदेश	7	4	0	351	568	156
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	28	62	57
4.	असम	0	0	0	93	192	200
5.	बिहार	0	0	0	8	36	6
6.	चंडीगढ़	2	4	3	77	112	147
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	252	306	325
8.	गोवा	7	6	3	33	47	45
9.	गुजरात	0	0	1	54	52	51
10.	हरियाणा	0	0	0	110	843	840
11.	हिमाचल प्रदेश	3	1	4	370	403	601
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	261	285	373
13.	झारखंड	0	0	0	109	115	57
14.	कर्नाटक	5	2	5	207	276	249
15.	केरल	0	0	0	667	898	1725
16.	मध्य प्रदेश	0	0	0	491	668	576
17.	महाराष्ट्र	37	46	46	356	364	564
18.	मणिपुर	0	0	1	49	70	99
19.	मेघालय	0	0	0	28	89	8
20.	मिजोरम	0	0	0	283	262	614
21.	नागालैंड	0	0	0	47	73	69
22.	नई दिल्ली	2	14	5	75	426	50
23.	पुदुचेरी	0	0	0	5	1	0
24.	पंजाब	0	0	0	4205	10234	9159
25.	राजस्थान	0	0	0	37	63	621
26.	तमिलनाडु	2	0	1	26	14	20
27.	उत्तर प्रदेश	7	1	4	3576	5313	5276
28.	उत्तराखण्ड	0	0	0	220	368	249
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1167	710	692
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	3	1
31.	ओडिशा	0	0	0	0	4	355
32.	सिक्किम	0	0	0	0	8	0
33.	त्रिपुरा	0	0	0	0	78	82
	कुल	**72**	**78**	**73**	**13189**	**22956**	**23297**

		2012	2013	2014
(i)	कोकीन -	72	78	73
(ii)	अन्य मादक पदार्थ	13189	22956	23297
	कुल योग -	**13261**	**23034**	**23370**

दिनांक 29.04.2015 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668

अनुलग्नक – ख

गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का विवरण

	2012	2013	2014
	गिरफ्तारियां	गिरफ्तारियां	गिरफ्तारियां
अं और नि द्वीपसमूह	8	28	34
आन्ध्र प्रदेश	806	1382	313
अरुणाचल प्रदेश	42	83	68
असम	125	279	252
बिहार	8	26	8
चंडीगढ़	79	118	166
छत्तीसगढ़	317	376	436
दादरा और नगर हवेली	0	3	2
दमण और दीव	0	0	0
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	78	533	76
गोवा	59	61	55
गुजरात	84	66	64
हरियाणा	114	976	915
हिमाचल प्रदेश	475	451	738
जम्मू और कश्मीर	346	401	512
झारखंड	180	194	86
कर्नाटक	336	430	428
केरल	611	1053	2291
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	685	954	828
महाराष्ट्र	570	559	688
मणिपुर	52	101	143
मेघालय	5	23	0
मिजोरम	344	325	740
नागालैंड	55	97	81
ओडिशा	0	1	495
पुदुचेरी	7	2	0
पंजाब	3347	11265	10141
राजस्थान	49	101	774
सिक्किम	0	7	0
तमिलनाडु	33	17	28
तेलंगाना	0	0	0
त्रिपुरा	0	63	73
उत्तर प्रदेश	3162	5368	5393
उत्तराखंड	245	338	266
पश्चिम बंगाल	1645	977	999

दिनांक 29.04.2015 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 668

अनुलग्नक-'ग'

प्राधिकरण के साथ लोगों की मिली-भगत को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई	अधिकारी का नाम और रैंक (गिरफ्तार)	मामले का ब्यौरा
1.	सीबीएन	श्री पी.एन. मीणा निरीक्षक (सेवानिवृत्त)	श्री पी.एन. मीणा, निरीक्षक को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मंदसौर में उनके आवास से "एक्टीवा आर जे 20 सी.जी. 0873 वाहन में छिपाकर रखी गई 10 किग्रा. प्रतिबंधित अफीम की बरामदगी के मामले में एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8/18 के अंतर्गत दिनांक 30.06.2012 को गिरफ्तार किया गया था।
2.	मुख्य सचिव, बहार	सुजीत कुमार, डिपो मैटीरियल अधीक्षक, भारतीय रेल, बरौनी, जिला बेगुसराय	सुजीत को दिनांक 30.08.2012 को अफीम के साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(II)(सी)/21/29 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
3.	दिल्ली पुलिस	जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल खुर्शीद आलम	खुर्शीद अलाम को 4 किग्रा. हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था।
4.	पंजाब पुलिस	प्रभजीत सिंह, हेड कांस्टेबल	श्री प्रभजीत सिंह को एसएसओसी अमृतसर द्वारा 10 किग्रा. की हेरोइन की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21/25/29/61/85 के तहत एक मामला एफआईआर संख्या 11 दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय में अब चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।
5.	राजस्थान पुलिस	संतराज मीणा, कांस्टेबल, जीआरपी अजमेर	एनडीपीएस अधिनियम की 87/12 धारा के तहत मामला संख्या 8/20, 8/29 दिनांक 29.7.2012
		धीमा राम, सरकारी शिक्षक	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18, शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला संख्या 1/13 दिनांक 8.1.13
		गिरधर सिंह, केन्द्रीय जेल, कारागार गार्ड, जोधपुर	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18, 8/29 के तहत मामला संख्या 1/14 दिनांक 12.12.14
		गोपाल बिश्नाई, कांस्टेबल, पाली	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15, 8/29 की के तहत मामला संख्या 116/13 दिनांक 8.10.13
		राधे श्याम मीणा, कांस्टेबल, केन्द्रीय बीकानेर	सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत मामला संख्या 279/13 दिनांक 29.12.2013
		राजकुमार उर्फ राजू खटीक, कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन कपासन, चित्तोड़गढ	भारतीय दंड संहिता की धारा 395ख, 212, 118, 119, 414, 120-ख के तहत मामला संख्या 160/13 दिनांक 01.10.2013
		शिव प्रताप सिंह, सुरक्षा खेल श्रेणी	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21, के तहत मामला संख्या 254/14 दिनांक 23.07.2014
		शेर खान, सिपाही, ग्रेनेडियर भारतीय सेना	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20, के तहत एफआईआर संख्या 59/15 दिनांक 18.02.2015
		आनंद कुमार शर्मा, कांस्टेबल, दौसा	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20, के तहत एफआईआर संख्या 44/15 दिनांक 11.02.2015
6.	मणिपुर पुलिस	1. सूबेदार मो. जहरीरुद्दीन, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन	बंगयांग 24 असम राइफल्स जांच चौकी, जिला चंदेल, मणिपुर में 1645 बजे एनडी एंड पीएस अधिनियम की

		2. राईफलमैन टी. धनबीर सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 3. राईफलमैन एस. वीओ, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 4. राईफलमैन केएच. प्रफुल्लु सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 5. राईफलमैन ए. रामेशोर सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 6. राईफलमैन एन. रोमाजीत सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 7 राईफलमैन ई. देवनंदा सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 8 राईफलमैन टीएच टीकेन सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन	धारा 21/22/27-ए/29 और डी सी अधिनियम की धारा 13(ख) एफआईआर संख्या 16(4)2012 टीपीएल-पीएस दिनांक 2.4.2012
		1. कांस्टेबल टकेलाम्बम सत्यजीत सिंह, इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस	खुरई चेथाबी लेईराक, आई/ईस्ट जिला मणिपुर की क्रासिंग पर 0745 बजे एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 20(ii)/60(3)/29 और भा.दं.सं. की धारा 34 के तहत एफआईआर संख्या 3(5)2012 दिनांक 12.05.2012
		1. कर्नल अजय चौधरी, पीआरओ (रक्षा) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	पल्लेल पुलिस स्टेशन, नई बिल्डिंग थाऊबाल जिला मणिपुर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-02 पर 0730 बजे एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 21/29 के तहत एफआईआर संख्या 26(2)2013 केसीके-पीएस दिनांक 24.02.2013
		1. जमादार होल्लाल होकिप, 8 बटालियन मणिपुर राईफल	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर चाऊबोक लमखई के निकट थाऊबाल जिला मणिपुर के निकट 1930 बजे एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 22/25/25-ए/29 के तहत एफआई संख्या 109(11)2013 एलआईएल-पीएस दिनांक 26.11.2013
		1. जमादार एच. प्रेमानंद सिंह, प्रथम इंडिया रिजर्व बटालियन 2. कांस्टेबल नौगमेथेम प्रियोकुमार सिंह, कमांडो/थाऊबाल जिला पुलिस 3. कांस्टेबल एस. प्रेन्द्रोजीत सिंह, कमांडो/थाऊबाल जिला पुलिस 4. कांस्टेबल एच. विजेन्द्रो सिंह, कमांडो/थाऊबाल जिला पुलिस 5. उप निरीक्षक बी. देबसन सिंह, इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस 6. कांस्टेबल ड्राईवर/थांगलेनमंग थाऊथंग, इम्फाल, पूर्वी जिला पुलिस 7. कांस्टेबल, एम. हेमिक्स सिंह,	पल्लेल पुलिस जांच चौकी में लगभग साढ़े 8 किमी. दक्षिण-पूर्व, चंदेल जिला, मणिपुर में 0745 बजे एनडी एंडी पीएस अधिनियम की धारा 21/29 और शस्त्र की अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआई संख्या 62(4)2013 केसीके-पीएस दिनांक 28.4.2013

		इम्फाल, पूर्वी जिला पुलिस 8. कांस्टेबल एनजी. प्रेमजीत सिंह, इम्फाल, पूर्वी जिला पुलिस 9. कांस्टेबल एम. सुरकुमार सिंह, इम्फाल, पूर्वी जिला पुलिस 10. राईफलमैन, एस. रणवीर सिंह, 7वीं बटालियन मणिपुर राइफल 11. राईफलमैन एन. नीलमणी सिंह, तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन 12. उप निरीक्षक आर.के. बिनोदजीत सिंह, ओसी/कमांडो, मोरहे	
		1.राईफलमैन लियानमिनथंग उर्फ थांगबागई वाईफेइ, छठवीं इंडिया रिजर्व बटालियन	एलआईसी आफिस के निकट खुयातोंग पुलिस स्टेशन-शहर पुलिस स्टेशन, इम्फाल पश्चिम जिला मणिपुर में 1540 बजे एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 193(12) 2014 शहरी पुलिस स्टेशन दिनांक 6.12.2014.